न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– *बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस*

राजस्व अपील संख्या 15/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
श्रीमती ललिता पत्नी श्री पृथ्वीसिंह जी, उम्र 43 वर्ष, जाति माली, निवासी– जालवाला बेरा, मण्डोर, जोधपुर। हाल निवासी– बावडी, चैनपुरा, जोधपुर।		

1. स्व0 पन्नालाल पुत्र स्व0 श्री उदाराम जी, के विधिक उत्तराधिकारी गण :–

1/1 मोहिनी देवी पत्नी स्व0 पन्नालाल

1/2 स्व0 सुमित्रा पुत्री स्व0 पन्नालाल जी, पत्नी श्री राजेन्द्र जी भाटी जी, के विधिक उत्तराधिकारीगण

1/2/1 राजेन्द्र भाटी

1/2/2 परमेश्वर पुत्र श्री राजेन्द्र जी भाटी,

1/2/3 मनोहर पुत्र श्री राजेन्द्र जी भाटी,

1/2/4 थानसिंह पुत्र श्री राजेन्द्र जी भाटी,

1/2/5 प्रदीप पुत्र श्री राजेन्द्र जी भाटी,

1/2/6 भावना पुत्री श्री राजन्द्र जी भाटी, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया पिता राजेन्द्र भाटी, निवासीगण – खेडी वाला बेरा, माता का थान रोड, जोधपुर।

2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल जी, जाति–माली, निवासी–नयापुरा, लालसागर, जोधपुर।

3 मूल सिंह पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल जी, जाति –माली,निवासी–नयापुरा, लालसागर,जोधपुर।

4 बलवीर पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल जी, जाति–माली, निवासी–नयापुरा, लालसागर,जोधपुर।

5 ललिता पुत्री स्व0 श्री पन्नालाल जी, पत्नी श्री रतन जी, जाति – माली, निवासी – नागौरी बेरा, मण्डोर, जोधपुर।

6 स्नेहलता पुत्री स्व0 पन्नालाल जी पत्नी श्री अशोक जी परिहार निवासी-भाखर वाला बेरा, बासनी, तम्बोलिया, जोधपुर।
7 जेठूसिंह पुत्र स्व0 श्री कानसिंह
8 लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्री कानसिंह
9 लीला पुत्री स्व0 श्री कानसिंह
10 भगवती पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल
11 अवधेश पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल
12 प्रेमलता पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल
13 शशि पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल जी
14 कुसुम पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल जी
15 थानसिंह पुत्र अम्बालाल जी
16 किशन सिंह पुत्र अम्बालाल जी
17 ज्ञानीदेवी पुत्री अम्बालाल जी
18 चुकी देवी पुत्री अम्बालाल जी
19 ओमी पुत्री अम्बालाल जी
20 ललिता पुत्री अम्बालाल जी
21 भारतसिंह पुत्र स्व0 मगाराम जी
22 प्रेमसिंह पुत्र स्व0 मगाराम जी
23 चैनसिंह पुत्र स्व0 मगाराम जी
24 उषा पुत्री स्व0 मगाराम जी
25 भंवरी पत्नी स्व0 मगाराम जी
26 शांति पुत्री पेपी उर्फ पारी (माता का नाम) पत्नी श्री पोकर जी
27 किशन सिंह पुत्र श्री देवसिंह जी
28 मदन पुत्र श्री देवसिंह जी
29 सुरेन्द्र पुत्र श्री देवसिंह जी
30 श्यामा पुत्री श्री देवसिंह जी
31 गुलाब पुत्री श्री देवसिंह जी
32 मोहिनी पुत्री श्री देवसिंह जी
33 सुमन पुत्री श्री देवसिंह जी
34 विजयसिंह पुत्र स्व0 श्री कोलाराम
35 अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 श्री कोलाराम

36 सम्पतसिंह पुत्र स्व0 श्री कोलाराम
37 ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 श्री कोलाराम
38 हजारी सिंह पुत्र स्व0 श्री कोलाराम
39 बस्तीराम पुत्र स्व0 श्री कोलाराम
40 बिदामी पुत्री स्व0 श्री कोलाराम
41 सुरजी पुत्री स्व0 श्री कोलाराम जी
42 भंवरलाल पुत्र श्री हस्तीमल जी
43 ओम प्रकाश पुत्र श्री हस्तीमल जी
44 बलवीर सिंह पुत्र श्री हस्तीमल जी
45 तारा पुत्री श्री हस्तीमल जी
46 उषा पुत्री श्री हस्तीमल जी
47 ओम पुत्र श्री रतनाराम जी
48 रामप्यारी पुत्री श्री रतनाराम जी
49 श्याम पुत्री श्री रतनाराम जी
50 बंशीलाल पुत्र श्री रतनाराम जी
51 श्रीमती किरण पत्नी श्री जब्बरसिंह देवडा पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति माली, निवासी शिकार का बेरा, जोधपुर।
52 निर्मला पत्नी कुन्दनसिंह गेहलोत पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति माली, निवासी फूलबाग बेरा, जोधपुर।
53 संगीता पत्नी श्री दिनेश जी सांखला पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति माली, निवासी –ढाणा बेरा,जोधपुर
54 कुलदीप पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति – माली
55 महेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति – माली
56 श्रीमती भगवती पत्नी श्री आनंद सिंह गेहलोत पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल कच्छवाहा, जाति–माली,

निवासी–चोलावतो का बेरा,जोधपुर।

57 हेमलता पत्नी श्री संतोष सिंह जी पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति – माली, निवासी माता का थान, नवोडा, जोधपुर।

58 दुर्गा पत्नी श्री रामस्वरूप जी गेहलोत पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल कच्छवाहा, जाति – माली, निवासी माता का थान, नवोडा, जोधपुर।

59 श्रीमती चन्द्रकला (चंदिया)पत्नी श्री ज्ञानसिंह भाटी पुत्री स्व0 री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति – माली, निवासी राईका बेरा,जोधुपर

60 नीतू पत्नी श्री महेन्द सिंह परिहार पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल जी कच्छवाहा, जाति– माली, निवासी एयरफोर्स, रातानाडा, जोधपुर।

61 तहसीलदार जरिये राज्य सरकार, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.11.2017 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (भू.रू.) जोधपुर के द्वारा अनवान स्व. श्री पन्नालाल पुत्र स्व. उदाराम के कायम मुकाम वारिसान बनाम जेठसिंह, में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री अमित मेहता एवं श्री सुनिल कच्छवाहा, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से उपस्थित।
2. श्री के0 सी0 पीथावत, रेस्पोडेन्टस संख्या एक ता 6 की ओर से उपस्थित।
3. श्री यू0 एस0 गहलोत, अन्य रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, रेस्पोडेन्ट सं. 61 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– जुलाई, 2019

1. अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 29/2012 स्व0

पन्नालाल के का0मु0 बनाम जेठूसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अपील के संलग्न अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया कि अपील में वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 505 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 1897/176 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 486 रकबा 1 बीधा 14 बिसवा, खसरा संख्या 522 रकबा 3 बीधा 15 बिस्वा, कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थी ने जरिये बेचान दस्तावेज गुमनी देवी के वारिसानो से दिनांक 17.06.2010 व 29.06.2010 को खरीद किया है। जिसके पश्चात अपीलार्थीया के पक्ष में उपरोक्त खसरान् भूमि के नामान्तरकरण संख्या 1530, खाता संख्या 65 व नामान्तरकरण संख्या 1531, खाता संख्या 66, सम्वत् 2060–2063 स्वीकृत किये गये तथा उक्त नामान्तरकरणों के आधार पर अपीलार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी/राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 से पूर्ण रूप से व्यथित है क्योंकि उसका नाम राजस्व रेकर्ड से बिना किसी पूर्व सूचना के हटाये जाने का आदेश दिया गया है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

3. हमने अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया। चूंकि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय केवल रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 द्वारा शेष अन्य रेस्पोडेन्टस को ही पक्षकार बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट है। जिसमें अपीलार्थीया को जो कि अपील प्रस्तुत करने की दिनांक को जमाबन्दी में बतौर राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है जिसें प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अतः अपीलार्थीया के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अपीलान्ट एक हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

4. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

5. प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील के साथ अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

6. अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ परीसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अन्दर म्याद में नहीं होने के सम्बन्ध में कथन किया कि उसे अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने से इसकी जानकारी नहीं थी। दिनांक 02.01.2019 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व मूल वाद में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद की पोषणीयता पर मजिद बहस के बाद अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी से सम्पर्क किया तब प्रथम अपील एवं अपीलाधीन आदेश का दिनांक 8.1.2019 को अवलोकन किया तब सम्पूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई साथ ही यह जानकारी भी हुई कि उसे प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था और न किसी प्रकार का कोई नोटिस आज दिन तक अपीलार्थी को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात अपीलार्थीया के द्वारा अपीलाधीन आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.01.2019 को आवेदन किया तथा दिनांक 11.1.19 को प्राप्त की तब सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। अपीलार्थीया के द्वारा उक्त आधार पर द्वितीय अपील तैयार करवाकर 15.01.2019 को पेश की गई है अतः अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब को सद्भाविक विलम्ब मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा अपील अन्दर म्याद शुमार की जावें।

7. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न पेश किये अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम अपील को अन्दर शुमार किये जाने को अस्वीकार किये जाने का कथन किया तथा कहा कि जब नायब तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1512 दिनांक 8.6.10 में तत्समय में जो–जो पक्षकार अंकित थे उन्हें ही प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय आवश्यक पक्षकार संस्थित किया गया था तथा उन्हें उनसे ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पपादित की गई है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विलम्ब अवधि को कन्डोन किये जाने को खारिज किया जावें।

8. हम अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अपीलार्थीया प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं थी। ऐसी दशा में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ज्योहि हुई आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपील की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

9. अपील के गुणावगुण पर दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस की गई। दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम मण्डोर, पटवार हल्का मण्डोर द्वितीय, तहसील जोधपुर खसरा संख्या 656 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 483 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 505 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा,

खसरा संख्या 1897/176 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 486 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 522 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से अपीलार्थी के हिस्से में रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई हैं। जो अपीलार्थी ने जरिये पंजिकृत बेचान दस्तावेज के गुमनी देवी के वारिसानो से दिनांक 17.06.2010 व 29.06.2010 को खरीद किया गया था जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पक्ष में उपरोक्त खसरान् के नामान्तरकरण संख्या 1530, खाता संख्या 65 व नामान्तरकरण संख्या 1531, खाता संख्या 66, सम्वत् 2060–2063 स्वीकृत किये गये एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा अपीलार्थीया का अपने हक–हिस्से की कृषि भूमि पर खरीद की दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में अपीलार्थीया को किसी प्रकार से पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। अपीलार्थीया को बिना सूने ही उसका नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित करने के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जावें।

10. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरान भूमि का नायब तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1512 दिनांक 8.6.2010 को स्वीकृत किया गया और उस स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण में दर्ज खातेदारान को प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था। हम रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 (प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टगण) द्वारा अन्य रेस्पोडेन्टस से ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने हेतु अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दी गई थी। जिसे न्यायालय अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा उन्हें निर्देश दिये गये कि वे उभय पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए सम्पूर्ण साक्ष्यों/बयानों/दस्तावेजों के प्रस्तुत करने की विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करें कि गुमनी का देहान्त कब हुआ तथा सेटलमेन्ट से पूर्व गुमनी का सहखातेदार के रूप में अन्य खातेदारों के साथ क्या स्टेटेस (हैसियत) रहा है।'' वो विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलार्थीया की अपील को खारिज किया जावें।

11. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यदि प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय

तत्समय की वर्तमान राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त भूमि के सभी रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार संस्थित कर लिया जाता तो निर्णय करने में आसानी रहती और राजस्व रेकर्ड अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित हो पाता, इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय का भी यह दायित्व बनता था कि वे तहसील कार्यालय से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चालू राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिति ज्ञात करते तथा राजस्व रेकर्ड को तलब करते। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है कि विद्वान अति0 जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रस्तुत अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त किया जाता है तथा अपर जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टस जो कि वर्तमान रेस्पोडेन्टस 1 ता 6 के द्वारा अपीलार्थीया श्रीमती ललिता को तथा उल्लेखित खसरान भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित सभी रेकर्डेड खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाकर संशोधित अपील शीर्षक पेश करने पर सभी पक्षकारान को विधिवत पूर्ण सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। अपील में वर्णित सभी पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर